

कार्यालय पुलिस आयुक्त जयपुर

क्रमांक:- व-15( )पुआज/अप/न्यूज/2020/ 15315

दिनांक:- 6-10-20

प्रभारी  
संपर्क पोर्टल, राजस्थान  
जयपुर

विषय:-परिवाद द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार के संबंध में।

प्रसंग:-सम्पर्क पोर्टल परिवाद क्रमांक 09200678617777 के संबंध में।


महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत श्री ज्ञानेश कुमार के परिवाद के संबंध में निम्नानुसार निवेदन है:-

1. श्री ज्ञानेश कुमार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर शीर्षक "पीड़ितों को नहीं मिला न्याय, पुलिस ने बंद कर दी फाईल" के संबंध में वास्तविकता ज्ञात करने हेतु लिखा है।
2. उक्त समाचार कतरन में जनवरी 2020 से माह जुलाई 2020 तक दर्ज अपराधों के आंकड़े दशायि गए हैं।
3. पुलिस आयुक्तालय जयपुर के क्षेत्राधिकार में जनवरी 2020 से जुलाई 2020 तक दर्ज प्रकरणों एवं इसी अवधि में निस्तारित प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	शीर्षक	दर्ज	चालान	अदम वकू	अदम पता	पैडिंग
1.	हत्या	44	15	4	0	25
2.	हत्या का प्रयास	49	17	3	1	28
3.	डकैती	1	0	0	0	1
4.	लूट	41	16	0	3	22
5.	अपहरण/व्यपहरण	285	30	143	2	110
6.	बलात्कार	210	63	49	0	98
7.	बलवा	10	2	3	0	5
8.	नकबजनी	358	58	1	201	98
9.	दुपहिया वाहन चोरी	2209	152	15	1552	490
10.	चौपहिया वाहन चोरी	258	39	8	161	50
11.	अन्य चोरी	819	160	22	420	217
12.	अन्य भादस	5482	1486	898	168	2930
13.	योग	9766	2038	1146	2508	4074

4. दर्ज प्रकरणों में ठोस प्रयास कर संबंधित के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्यवाही की जाती है।
5. सम्पत्ति संबंधी अपराधों में त्वरित कार्यवाही की जाकर अपराधियों का पता लगाने के ठोस प्रयास किये जाते हैं।
6. प्रकरणों में अनुसंधान के सभी बिन्दुओं पर अनुसंधान पूर्ण करने के उपरान्त ही पूर्णतया संतुष्ट होने पर नतीजा दिया जाता है।
7. किसी भी प्रकरण में तकमीली कार्यवाही नहीं की जाती है, अनुसंधान अधिकारियों द्वारा अपने स्तर पर व उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अनुसंधान सुनिश्चित करते हुए प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है।

भवदीय  
  
स्टॉफ ऑफिसर  
पुलिस आयुक्त, जयपुर